

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023—माघ 7, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2023

क्र. 56-1101996-2023-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.35.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सहकारिता विभाग की सेवा क्रमांक 35.11 की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 567-754173-22-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-35, दिनांक 27 जुलाई 2022 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सहकारिता विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.11	सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण के आवेदन का निराकरण.	जिला स्तर पर उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	30 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	30 कार्य दिवस	अपर/संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मुख्यालय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		संभाग स्तर पर संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं.		अपर/संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश मुख्यालय.		पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश.
		प्रदेश स्तर पर अपर/संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश मुख्यालय.		पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश.		प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.